

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून
 कार्यालय पता : वन भवन, तृतीय तल, 85-राजपुर रोड, देहरादून, ☎0135-2740391, 2740396 ईमेल-ccfhrd-forest-uk@nic.in
 वनादेश सं० : 80 / 1-12 देहरादून दिनांक, 6, फरवरी, 2024.

पदोन्नति आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक 821/1-12 दिनांक 09-11-2023 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 17-11-2023 को बैठक आहुत की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक वेतनमान 29200-92300 लेवल 5 की प्रधान सहायक, वेतनमान 35,400-1,12,400 लेवल 6 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति जनहित में की जाती है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं
1	2	3
1	श्री विजय थपलियाल	वन संरक्षक, अनुसंधान वृत्त हल्द्वानी
2	श्रीमती शशि जोशी	प्रभागीय वनाधिकारी, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर

- कार्मिक पदोन्नति पद पर योगदान वर्तमान तैनाती कार्यालय में ही देंगे। संबंधित कार्मिकों के तैनाती आदेश प्राथमिकता के आधार पर पृथक से जारी किये जायेंगे।
- पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायगी।
- संबंधित कर्मचारी अपनी पदोन्नति आदेश प्रभावी होने की तिथि से 10 दिन के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति कर दी जायगी।
- कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो तो कार्मिक से लिखित रूप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

4/06/24
 (निशांत वर्मा)

मुख्य वन संरक्षक,

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन,

उत्तराखण्ड देहरादून

पत्र सं० 1462 (1)/ 1-12 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
- संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- मुख्य वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF, उत्तराखण्ड को प्रमुख वन संरक्षक, HoFF, महोदय के संज्ञानार्थ।
- मु०व०सं०, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
- अधिष्ठान/गार्ड बुक।

4/06/24
 (निशांत वर्मा)

मुख्य वन संरक्षक,

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन,

उत्तराखण्ड देहरादून